न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनील शर्मा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 126/2021 **दायर तारीख :–** 14-12-2021

1. रामदास चेला जयरामदास जाति स्वामी निवासी नीलका तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. रामधन चेला भूरादास जाति स्वामी निवासी नीलका तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं

स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88 व 188 राज0का0अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
श्री अवधेश शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 12/12/22

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर की खातेदारी पूर्व में भूरादास चेला गोमतीदास कौम स्वामी सा0 नीलका के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है। उक्त भूमि भाबरू धाम के अन्तर्गत रही है, जहां मंदिर श्री सीताराम जी भाबरू धाम में भूरादास चेला गोमतीदास जी विराजमान रहकर उक्त भूमि आराजी की काश्त कार्य करवाकर मंदिर श्री सीताराम धाम व्यवस्था व सेवा पूजा में खर्च कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। मंदिर श्री सीताराम विराजमान भाबरू धाम के महन्त गोमतीदास का चेला भूरादास हुए तथा भूरादास के चेला जयरामदास तथा जयरामदास का चेला रामदास हुआ है इसी प्रकार नीलका धाम के महन्त सरजूदास का चेला मंगलदास व मंगलदास का चेला हनुमानदास व हनुमान दास के दो चेले रामधनदास व प्रहलाद दास हुए है, जिनमें प्रहलाद दास नाचेला फौत हो चुके है। इस प्रकार भाबरू धाम में वर्तमान में गद्दी विराजमान महन्त रामदास है तथा नीलका धाम में रामधनदास गद्दी विराजमान है। दोनों गद्दीयां पृथक–पृथक है, जिनका एक–दूसरे से कोई संबंध या वास्ता नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी को भाबरू धाम के महन्त भूरादास चेला गोमतीदास ने मंदिर आमदनी से खरीद की थी, जिसमें नीलका धाम के महन्तों का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। भूरादास चेला गोमतीदास के फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 07.

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

10.1992 को गलत रूप से बिना चेला वारिसान की जांच किए जयरामदास, रामधनदास, प्रहलाददास चेला भूरादास के नाम नामान्तकरण भरकर खातेदारी दर्ज कर दी, जबकि भूरादास के एक ही चेला जयरामदास थे। रामधनदास व प्रहलादा दास चेले हनुमान दास रहे है, जो नीलका धाम के महन्त रहे है, जिनका भाबरू धाम के अधीन आराजी से कोई हक संवंध नहीं रहा है। उक्त आराजी की प्रहलाद दास नाचेला फौते होने पर उसके गुरू भाई रामधनदास के खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत रूप से अंकित की गई है। यदि जयरामदास, रामधनदास, प्रहलादादास एक ही गुरू के चेले थे तो भी प्रहलाद दास की फौतगी का नामान्तकरण दोनों के बराबर–बराबर होना चाहिए था, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मनमर्जी से कानून विपरीत एवं वादी के हक अधिकारों के विपरीत जाकर अकेले रामधनदास के नाम खातेदारी दर्ज कर दी, जबकि उक्त आराजी पर वादी बदस्तूर अपने गुरू की फौतगी पश्चात शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग कर मंदिर व्यवस्था करते आ रहे है। जयरामदास के फौत होने पर उसके चेले रामदास गद्दी विराजमान भाबरू के हिस्सा 1/3 की खातेदारी दर्ज की गई जो गलत रूप से दर्ज की गई है। भूरादास की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि की विरासत एकमात्र चेले जयरामदास के दर्ज होनी चाहिए थी तथा उसके पश्चात जयरामदास के चेले रामदास के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, इसलिए प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने जब प्रतिवादी रामधनदास चेला भूरादास के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी उसको दुरूस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने के लिए कहां तो प्रतिवादी ने दुरूस्त करवाने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा प्रतिवादी ने ऐलानियां धमकी दी कि यह भूमि हिस्सा 2/3 मेरे नाम दर्ज रिकॉर्ड है, तुम्हारा इससे कोई लेना–देना नहीं है, मैं इस भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान कर दूंगा, तथा तुम्हें कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त करके रहूगां। यह है कि यदि प्रतिवादी अपने मन्सूबे में सफल हो गया और उन्होनें बिना किसी हक अधिकार के वादी के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूम को किसी अजनवी व्यक्ति को अन्तरण कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्व करवा देगें तथा वादी को उनके हक अधिकार की भूमि से जबरन बेखदल कर देगें तो वादी के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा, जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराश के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी को बढावा मिलेगा। अतः निवेदन है कि डिक्री बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान की जावे कि ग्राम भावरू के हाल आराजी खसरा नंबर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 की दर्ज खातेदारी हिस्सा 2/3 निरस्त कर वादी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ फरमाया जावें एवं तदनुसार उक्त घोषणा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सदा–सदा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी, वादी को उसके हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा मजामहत व दखलन्दाजी पैदा नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें, शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें।

2. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 391 वाके ग्राम भाबरू संवत् 2076–2079 **प्रदर्श–1**, ग्राम भाबरू नकल नामान्तरण संख्या 2688 **प्रदर्श–2**, ग्राम भाबरू नकल नामान्तरण संख्या 589 **प्रदर्श–3**, ग्राम भाबरू नकल नामान्तरण संख्या 2370 **प्रदर्श–4**, नकल जमाबन्दी ग्राम नीलका खाता संख्या 49 संवत् 2076–2079 **प्रदर्श–5**, नकल जमाबन्दी ग्राम नीलका खाता संख्या 13 संवत् 2076–2079 **प्रदर्श–6**, फोटो प्रति पैन कार्ड रामधनदास **प्रदर्श–7,** फोटो प्रति आधार कार्ड रामधनदास **प्रदर्श–8,** फोटो प्रति बैंक पास बुक रामधनदास **प्रदर्श–9,** फोटो प्रति आधार कार्ड रामदास **प्रदर्श–10,** नकल जमाबंदी खातौनी खाता संख्या 308 सवंत् 2020 **प्रदर्श–11(2 पृष्ठ)** आदि पेश किए गये।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए, राजीनामा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

4. प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्तुत राजीनामें में कथन रहे कि ग्राम भाबरू के हाल आराजी खसरा नंबर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर में रामदास चेला जयरामदास काबिज काश्त है, जिसकी उपज से मंदिर श्री सीताराम जी के सेवा व्यवस्था का संचालन करते है। यह है कि हम दो गुरू भाई थे, रामधनदास व प्रहलादास। हमारा गुरू श्री हनुमान दास जी थे। हनुमान दास जी के गुरू मंगलदास जी थे, जो नीलका धाम में विराजमान थे। मैं भी नीलका धाम में विराजमान हूँ। वादी रामदास चेला जयराम दास, जयरामदास जी के गुरू भूरादास जी थे। भूरादास जी के जयरामदास के अलावा और कोई चेला नहीं था। यह है कि उक्त आराजी भाबरू धाम के अन्तर्गत रही है जो भूरादास जी चेला गोमतीदास की जमीन थी जो गलती से मुझे उनका चेला बनाकर उनके हिस्से की जमीन मेरे नाम से चढ़ा दी जो गलती से चढ़ी है। यह है कि उक्त गलत रूप से दर्ज जमीन में हमारा कोई हक हिस्सा नहीं है हम सदा से नीलका धाम में विराजमान रहे है, इस जमीन पर भाबरू धाम का ही हक अधिकार रहा है, इसलिए इस जमीन में मेरा नाम हजफ कर रामदास चेला जयरामदास के नाम ही सारी जमीन चढ़ा दी जावें, इसके लिए मैं सहमत हूँ। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

5. प्रकरण में वादी स्वयं रामदास एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बयान दर्ज किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बयान में वाद ग्रस्त आराजी को वादी के दादा गुरू भूरादास चेला गोमतीदास जी की बताई है तथा उक्त आराजी पर अपना कोई हक व अधिकार नहीं होना बताया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चढ़ी

वाद ग्रस्त आराजी जमीन को रामदास जी चेला जयरामदास के नाम दर्ज करवाने में सहमति जाहिर की है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर खसरा नंबर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर की खातेदारी वादी रामदास चेला जयरामदास हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामधन दास के नाम हिस्सा 2/3 दर्ज रिकॉर्ड है। वाद ग्रस्त आराजी के खसरा नंबर की खातेदारी पूर्व में भूरादास चेला गोमतीदास के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही थी, परन्तु भूरादास के फौत हो जाने के उपरान्त नामान्तरण संख्या 589 के जरिये जयरामदास, रामधन दास, प्रहलाददास के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया है। तथा प्रहलाद दास के नाचेला फौत होने के उपरान्त उसकी हिस्से 1/3 की खातेदारी रामधन दास के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 2688 द्वारा दर्ज की गई है। एवं जयरामदास के फौत होने के उपरान्त जयरामदास के हिस्से 1/3 की भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 2370 द्वारा रामदास चेला जयरामदास के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई है। वाद ग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार भूरादास चेला गोमतीदास के तीन चेले जयरामदास, रामधन दास, प्रहलाद दास बताए गए है, परन्तु पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों के उपरान्त भूरादास चेला गोमतीदास के एक ही चेला जयरामदास रहा है, जबकि नामान्तकरण में अंकित अन्य दो चेले रामधनदास व प्रहलाददास गुरू हनुमान दास के चेले थे। तथा भूरादास के चेला जयरामदास एवं जयरामदास के चेला वादी रामदास है, जिसकी पुष्टि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने राजीनामा एवं बयान में की है। उपर्युक्त विवेचन उपरान्त यह सावित होता है कि वाद ग्रस्त आराजी में से रामधन दास एवं प्रहलाद दास के नाम आई भूमि में रामधनदास एवं प्रहलाद दास का कोई हक व हिस्सा नहीं था, बल्कि सहवन से रामधनदास एवं प्रहलाद दास के नाम उक्त जमीन आई थी, उक्त बात की पुष्टि भी प्रतिवादी संख्या 1 अपने राजीनामें एवं वयान में की । प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम चढ़ी वाद ग्रस्त आराजी जमीन को रामदास जी चेला जयरामदास के नाम दर्ज करवाने में सहमति जाहिर की है। अतः वाद ग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड हिस्सा 2/3 की खातेदारी हजफ कर के वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम भावरू के हाल खसरा नम्बर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 2/3 की खातेदारी हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इस प्रकार सम्पूर्ण वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा

से पाबंद कर किया जाता है के वे वादी की खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18-1-22 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
विराट नगर, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– सुनील शर्मा, आर.ए.एस.

1. रामदास चेला जयरामदास जाति स्वामी निवासी नीलका तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— वादी**

बनाम

1. रामधन चेला भूरादास जाति स्वामी निवासी नीलका तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 126/2021 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88 व 188 राज0का0अधिनियम 1955** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूवरू **श्री घनश्याम गुर्जर, एडवोकेट वादीगण** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूवरू **श्री अवधेश शर्मा, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि डिक्री वहक वादी वखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान की जावे कि ग्राम भाबरू के हाल आराजी खसरा नंबर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 हैक्टेयर में प्रंतिवादी संख्या 1 की दर्ज खातेदारी हिस्सा 2/3 निरस्त कर वादी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ फरमाया जावें एवं तदनुसार उक्त घोषणा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को सदा–सदा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी, वादी को उसके हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की वाधा मजामहत व दखलन्दाजी पैदा नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें, शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें।

सुना गया। पत्रावली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम भाबरू के हाल खसरा नम्बर 1131/0.03, 1132/0.23, 1133/4326/0.06, 1134/0.23, 1135/0.50 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 2/3 की खातेदारी हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इस प्रकार सम्पूर्ण वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

की खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 12-12-22 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 12-12-22 को जारी की गई।

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर

मुद्दायलह	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर